C-326
04/6/18

जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय (पूर्व)

कडकडडूमा न्यायालय, दिल्ली

परिपत्र

ऐसा देखा गया है कि जिला एवं सत्र न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा कार्यालय को प्रेषित किए जाने वाले पत्र अशुद्ध अंग्रेजी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसे पत्रों में वर्तनी एवं व्याकरण संबंधी अनेक अशुद्धियां पाई गई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कर्मचारी अपने पत्रों में आधी हिन्दी और् आधी अंग्रेजी का प्रयोग भी करते हैं।

इस संदर्भ में, विदित है कि, दिनांक् 26. 01.2004 से दिल्ली राजभाषा अधिनियम ,2000 लागू हो चुका है जिसमें हिन्दी को राजभाषा का दर्ज़ा दिया गया है। राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 5 के अंतर्गत प्रावधान है कि हिन्दी भाषा में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि कार्यालय में हिन्दी भाषा में प्राप्त पत्रों के उत्तर आवश्यक तौर पर हिन्दी में ही दें।

समस्त अनुभागों के प्रभारी न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व् अनुभाग प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित) 1987, के नियम 5 में वर्णित उक्त प्रावधान का पूरी तरह से पालन हो।

राकेश कुमार तिवारी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व)

दिल्ली

संख्या 07-12/हिन्दी/ 08/18 दिल्ली, दिनांक 07/06/18

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु परिपत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है :-

१. निजि सचिव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व जिला, कडकडडूमा न्यायालय, दिल्ली

२. रीडर, श्री निपुण अवस्थी, नोडल अधिकारी, राजभाषा हिन्दी, (पूर्व), कडकडडूमा न्यायालय।

३. सभी न्यायिक अधिकारी, पूर्व जिला, कडकडडूमा न्यायालय, दिल्ली।

४. सभी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक). न्यायिक अधिकारी (न्यायिक), विभाग, अनुभाग, संभाग के प्रभारी, पूर्व जिला, कडकडडूमा न्यायालय, दिल्ली।

५. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) प्रभारी, राजभाषा हिन्दी विभाग (मुख्यालय)

६. वेबसाइट समिति, पूर्व जिला, कडकडडूमा न्यायालय, दिल्ली।

निपुण अवस्थी

नोडल अधिकारी,

राजभाषा हिन्दी अनुभाग (पूर्व)